

विहार स्टेट माइक्रोफिनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हॉटिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax: 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com, website:www.bsfc.org)

संख्या:----- बी.एस.एम.एफ.सी., / पटना, दिनांक:-----

स्वीकृतदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के बाप संख्या-3060 दिनांक- 08.01.2016 के आलोक में राज्य सम्पाषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार कल्याण योजनागत बिना स्वीच वचन समिति द्वारा दिनांक - 07.08.2017 को चयनित प्रक्षेत्रवार आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रथरी द्वारा जम्मुई बिना के जूटिहीन कर्माजीकरण/दस्तावेज निस्पाहित करार उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में कल्याण रीश की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुरंसा के आधार पर कुल 03 लागूकों को उनके नाम के सामने ऑिकत डेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्यापे गए कल्याण रीश की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से कल्याण रीश भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत कल्याण रीश में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शूद्ध भुगतान के माध्यम में दर्यापे गये रीश सीधे सञ्चालित लागूक के आधार कार्ड आञ्छादित बैंक खला में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

SI. No	वचन	स्वी	क्र.सं.	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	7/135			MD ALAM ANSARI, S/o- MD FARUK, Vill.-DHORIKAWA, Block+ PS-JHAJHA, PO-BARAJOR, Distt.-JAMUI-811308	A/c No.:- 917010049404700, UTIB0002578	GENERAL STORE	100000	500	99500
2.	11/73			MD SARFARAJ, S/o- MD ZIBRAIL AHMAD, Vill.-RAMDIH, Block+ PS- JHAJHA, PO-BODWA, Distt.-JAMUI-811308	A/c No.:- 2157104000004961, IBKL0002157	KIRANA SHOP	100000	500	99500
3.	5/11			RUHI PERWEEN, S/o- MD ZAHID HUSSAIN, Vill.-PURANI BAZAR, Block+ PS+ PO+ Distt.-JAMUI-811307	A/c No.:- 6560000100118503, PUNB0656000	CHURI SHOP	100000	500	99500
TOTAL							300000	1500	298500

स्वीकृत कल्याण रीश में वर्तित डेड में लागूणी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का कय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा कल्याण रीश से सुविगत की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा कय की गयी सामग्रियों की शैतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रथरी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
उक्त स्वीकृत कल्याण रीश को कल्याणकार द्वारा ब्याज सहित 20 सामान शैमाधिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

आपाक: 1523
दिनांक: 11/01/18
प्रतिनिधि: बिना अल्पसंख्यक कल्याण पर्याधिकारी, जम्मुई / प्रथरी कल्याणकार/कल्याण रीश/कल्याण रीश (कम्प्युटर सेल) /

लेखी शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रथरी को सूचनाएँ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

रु०/-
प्रबंध निदेशक

15/1/18